न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्याः 120/2017
रज्जु दिनांकः 28/08/2017
निर्णय दिनांक : 29/09/2017

जगदीश पुत्र सुवा उम्र 55 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. धूला पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण उम्र 62 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः फागी, तहसील फागी, जयपुर।
2. भूली देवी पुत्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. श्रवणी देवी पुत्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार तहसील फागी, जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

——प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितः

श्री विनोद कुमार जैन एडवोकेट
श्री पंकज जैन एडवोकेट
श्री राजेन्द्र जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री गजेन्द्र सिंह एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ल. 3

निर्णय दिनांकः 29/09/2017

—: निर्णय :—

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश

नोटः- न्यायालय के आदेश दिनांक 7/11/17 से प्रार्थनापत्र 152 CPC स्वीकार होने पर निर्णय डिक्री में प्रतिवादी (2) भूली देवी पुत्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण के स्थान पर मूली देवी पुत्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण पढा जावे। अधिकारी (जयपुर)

किया कि आराजी खसरा नंबर 6397 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा की भूमि की ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी में स्थित है। भूमि में से 1/3 हिस्सा पक्षकारान के पिता/पूर्वज का था उनके फौत होने पर उक्त 1/3 हिस्से पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मौके पर काबिज काश्त है जिसमे उक्त 1/3 हिस्से में से आधे हिस्से अर्थात 1/6 हिस्से का वादी व 1/6 हिस्से के प्रतिवादीगण खातेदार है और मौके पर काबिज काश्त है। देवा के चार लडके थे जिसमें से श्रवण व रामपाल नाऔलाद काफी वर्षो पूर्व ही देवा के जीवनकाल में ही फौत हो गये उसके पश्चात देवा की संपूर्ण सम्पत्ति पर लक्ष्मण व सुवा संयुक्त रूप से आधे आधे हिस्से पर काबिज हुये जिसमे लक्ष्मण के फौत होने पर प्रतिवादीगण व सुवा के फौत होने पर वादी उनके वारिशान है। विवादित भूमि पर पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व देवा काबिज काश्त था देवा की मृत्यु पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व हो चुकी थी उसकी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त भूमि का पर्चा सेटलमेन्ट देवा के दोनो लडके लक्ष्मण व सुवा के नाम संयुक्त रूप से बराबर हिस्से का जारी होना चाहिये था लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियो की गलती से भूमि का पर्चा खातेदारी संवत् 2011 अकेले बडे भाई होने से लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण के नाम से जारी हो गया जो खसरा नंबर 6397 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा में 1/3 हिस्सा का जारी हुआ। पर्चा सेटलमेनट के पश्चात् भूमि की खातेदारी अकेले लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई जबकि मौके पर कब्जा काश्त दोनो भाईयो का संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर बराबर चलता रहा जिसके बाबत दोनो भाईयो के मध्य कोई विवाद नहीं रहा चूंकि पक्षकारान के पिता पूर्ण रूप से काश्तकार व्यक्ति थे जिन्हे रिकॉर्ड बाबत कोई आवश्यकता नहीं थी मात्र विवादित भूमि में काश्त कर अपना जीवन यापन करते थे जिसमें विवादित भूमि दोनो भाई संयुक्त रूप से मौके पर काबिज काश्त थे इसी वजह से खातेदारी दुरूस्त किये जाने की आवश्यक नहीं हुई। उपरोक्त भूमि की खातेदारी लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण अकेले के नाम दर्ज रही उसके फौत होने पर उसके वारिशान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई जो वर्तमान में चली आ रही है उसके पश्चात पिता वादी सुवा का भी देहान्त हो गया जिसका एकमात्र वारिश वादी है पक्षकारान के पिता भी फौत होने के पश्चात विवादित भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि की खातेदारी अकेले प्रतिवादीगण के नाम उनके पिता से दर्ज चली आती रहने के पश्चात वादी ने उक्त भूमि में अपना

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

हिस्सा लगाने हेतु प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि विवादित भूमि पर वादी उनके पिता के समय से उसके आधे हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है उसका हिस्सा कभी भी चलकर उसके नाम करा देगे जिसके बाबत उन्हे कोई आपत्ति नहीं है, वादी का मौके पर कब्जा काश्त होने एवं एक ही परिवार के सदस्य होने से विश्वास वादी ने उस समय कोई कार्यवाही नहीं की। विवादित भूमि में वादी के हिस्से को उसके नाम लगाने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त आश्वासन देने के पश्चात वादी के द्वारा लगातार प्रतिवादीगण का उसका हिस्सा लगाने हेतु कहता रहा जिस पर भी प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्तानुसार आश्वासन देते रहे जिस पर भी वादी विश्वास कर कोई कार्यवाही नहीं की। वादी को अपने उपरोक्त खातेदारी भूमि के बाबत सरकारी सुविधा प्राप्त करने हेतु आवश्यकता हुई लेकिन उपरोक्त भूमि की रिकॉर्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादी उपरोक्त सभी सुविधाओ से वंचित होने लगा जिस पर वादी के द्वारा प्रतिवादीगण से कहा कि विवादित भूमि में उसका जो हिस्सा है वह चलकर उसके नाम करावे जिस पर भी प्रतिवादीगण के द्वारा पूर्व अनुसार आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे और वादी का हिस्सा उसके नाम नहीं आया। वर्तमान में जमीनो की कीमते बढ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में फितुर उत्पन्न होने लगा और वे वादी के हिस्से को उसके नाम लगाने में आनाकानी करने लगे वादी के द्वारा प्रतिवादीगण से अभी दिनांक 07/08/2017 को उसका हिस्सा उसके नाम लगाने हेतु प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि विवादित भूमि में वादी का कोई हिस्सा नहीं है और विवादित भूमि अकेले उनकी कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जिसे वे शीघ्र ही विक्रय कर वादी को बेदखल करा देगा और वादी को विवादित भूमि में उसका कोई हिस्सा नहीं होने से स्पष्ट इंकार हो गये और प्रतिवादीगण के उक्त कथन पर वादी को बडा आश्चर्य हुआ और वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह विवादित भूमि में अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत घोषणा पेश करे। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गये तो वादी अपनी एकमात्र आराजी से वंचित हो जावेगा और उसे असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी ऐसी स्थिति में वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। विवादित भूमि पक्षकारन की पैत्रिक भूमि है जिस पर पक्षकारान के दादा/पूर्वज देवा काबिज काश्त था जिसका पर्चा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

सेटलमेन्ट से पूर्व देहान्त हो चुका था प्रतिवादीगण के पिता लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण जो परिवार में बडा भाई व कर्ता खानदान होने से विवादित भूमि का पर्चा अकेले के नाम गलती से जारी हो गया उसके पश्चात विवादित भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम गलती से दर्ज चली आ रही है मौके पर वादी अपने पिता के समय से आधे हिस्से पर प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है इस प्रकार विवादित भूमि पक्षकारान की संयुक्त पैत्रिक भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्से हिस्सा है जिसका वादी घोषणा कराने का अधिकारी है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा की जावे कि वाद पत्र में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 6397 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जयपुर में स्थित भूमि में वर्तमान में प्रतिवादीगण के दर्ज 1/3 हिस्से में से वादी 1/2 हिस्से अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित भूमि में वादी के हिस्से में कब्जेकाश्त में मजाहमत नहीं करे, न अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 01.09.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 15.09.2017 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया। वकील वादी ने जगदीश पुत्र सुवा एवं कालूराम पुत्र रूपा गुर्जर के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादी ने अपने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये कि हम वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है वादी के पिता सुवा व हम प्रतिवादीगण के पिता लक्ष्मण सगे भाई थे एवं उनके दो भाई श्रवण व रामपाल थे जो अविवाहित नाऔलाद फौत हो गये। हम प्रतिवादीगण के पिता लक्ष्मण बडे भाई थे विवादित भूमि हमारे पिता को बाबा देवा से प्राप्त हुई थी विवादित

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

भूमि पर हमारे पिता/बुजुर्ग आधे आधे हिस्से पर काबिज काश्त है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात हम प्रतिवादीगण व वादी संयुक्त रूप से आधे आधे हिस्से पर काबिज हैं। विवादित भूमि की खातेदारी अकेले हम प्रतिवादीगण के पिता के दर्ज हो गई तथा उनकी मृत्यु के पश्चात हम प्रतिवादीगण के दर्ज हो गई जो वर्तमान में चली आ रही है वर्तमान में दर्ज भूमि में हमारे हिस्से में से 1/2 हिस्सा वादी का है तथा जिस पर वादी काबिज है वादी का 1/2 हिस्सा उसके नाम लगाने हेतु हम प्रतिवादीगण सहमत है और हम प्रतिवादी श्रवणी व मूली जो हमारे नाम हिस्सा दर्ज है वह हम वादी व प्रतिवादीगण के हक में त्याग करते है तथा जिसके बाबत हम इस प्रकार सहमत है कि वर्तमान में उक्त भूमि में दर्ज हम प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का हिस्सा हम वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के हक में छोडते है अर्थात अपने हिस्से का त्याग करते है जिस अनुसार हमारा दर्ज हिस्सा है वह चूंकि विवादित भूमि में हमारे पिता के दर्ज हिस्से में आधा हिस्सा वादी का आता है इस अनुसार मैं प्रतिवादी संख्या 3 श्रवणी देवी का सम्पूर्ण हिस्सा 1/9 व मुझ प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 हिस्से में से 1/2 हिस्सा वादी के नाम लगा दिया जावे जिससे हम पूर्ण सहमत है एवं मुझ प्रतिवादी संख्या 2 मूली देवी का 1/9 हिस्से में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगा दिया जावे। विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा वादी का है व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है हमारे नाम जो वर्तमान में खातेदारी दर्ज है उसका उपरोक्त अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम लगा दी जावे जिससे हम पूर्ण सहमत है। इस प्रकार विवादित भूमि में वर्तमान में दर्ज मुझ प्रतिवादी संख्या 3 का संपूर्ण 1/9 हिस्सा व मुझ प्रतिवादी संख्या 2 के दर्ज 1/9 हिस्से में से 1/2 अर्थात आधा हिस्सा वादी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जावे एवं मुझ प्रतिवादी संख्या 2 का शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगाते हुये खातेदारी दर्ज कर दी जावे जिसमें हम प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पूर्ण सहमत है। उक्त अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 समान आधे आधे हिस्से की खातेदारी उनके हिस्सेनुसार दर्ज हो जावेगी। हम पक्षकारान आपस में भाई बहिन है जिस अनुसार हम पक्षकारान के पिता/चाचा सगे भाई थे उसी अनुसार दोनो के लडके वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के समानरूप से खातेदारी दर्ज होनी चाहिये। मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, राजीनामा, वादी व कालूराम पुत्र रूपा के शपथ पत्र इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि खसरा नंबर 6397 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार है।

चूंकि वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी ने राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किये में अपनी सहमति जाहिर की है। न्यायहित में वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 6397 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के दर्ज हिस्से 1/3 में से वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का अर्थात संपूर्ण भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाहा गया स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान
जगदीश पुत्र सुवा
बनाम
धूला पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण व अन्य

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 120/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 6397 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के दर्ज हिस्से 1/3 में से वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का अर्थात संपूर्ण भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकाार घोषित किया जाता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाहा गया स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/09/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी